भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 317 जिसका उत्तर

मंगलवार, 2 दिसंबर**, 2025 (11 अग्रहायण**, **1947,(शक))** को दिया जाना है

वडारेवु पत्तन विकास और सामुदायिक सहभागिता

317 **श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:**

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रकाशम जिले में वडारेवु पत्तन को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पत्तन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में स्थानीय एससी/एसटी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास नौवहन / पत्तन से जुड़े उद्योगों में रोज़गार सृजन संबंधी स्त्री-पुरुष-वार आंकड़े हैं और सभी के लिए समान अवसरों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ग): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। वोडारेवु एक महापत्तन नहीं है। सागरमाला योजना के माध्यम से मंत्रालय राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पत्तन अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परयोजनाओं, सड़क और रेल परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सभी महापत्तन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अनु.जा./ अनु.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। महापत्तनों में समान अवसर सृजन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) समान परिश्रमिक अधिनियम के अनुपालन में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच कोई वेतन भेदभाव न हो।

(ii) सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक महापत्तन पर एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

(iii) सभी महापत्तन महिला कर्मचारियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

*****